

संशोधित स्मृति-पत्र

- संस्था का नाम : जनसेवा कल्याण समिति
- संस्था का पता : ग्राम अन्दावॉ पोस्ट सरायइनायत, वि०ख० बहादुरपुर जिला इलाहाबाद
- संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत
- संस्था का उद्देश्य अ- भारतीय जनता में सामाजिक, नैतिक, अध्यात्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, ग्रामोद्योगिक एवं शैक्षिक उन्नति का प्रयास व प्रसार करना ताकि जीवन सुखमय एवं सम्पन्न हो सके।
- ब- जनसाधारण के लिए कल्याणकारी कार्य, स्वास्थ्य साहित्यिक एवं ग्रामोद्योगिक सेवाओं को उपलब्ध कराना, संस्था के कार्य क्षेत्र में वाले कारीगरों, निर्धनों, विकलांगों, विधवाओं एवं अपंग, मूकबधिर तथा निराश्रितों को आत्म निर्भर कराने का प्रयास करना उनको ग्रामोद्योगिक प्रशिक्षण देना तथा मदद कराना।
- स- खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी आयोग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय द्वारा संचालित समस्त प्रकार के कार्यक्रमों एवं योजनाओं को संचालित करना, उनका प्रचार व प्रसार करना तथा उत्पादन एवं बिक्री करना और समस्त आय को उद्देश्य की पूर्ति एवं चैरिटेबुल कार्यों पर व्यय करना।
- द- चिकित्सालय, परिवार नियोजन शिविर एवं व्यायामशाला तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय एवं वाचनालयों को खोलना, कृषि शिक्षा, ग्रामोद्योग शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, संगीत शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा आदि के शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान को खोलना और उनका संचालन एवं प्रबन्ध करना।
- य- उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी ग्रामोद्योग आयोग तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से आर्थिक सहायता/ऋण प्राप्त करना तथा इससे होने वाले आय को चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना।
- र- महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षित महिला कल्याण केन्द्र, नारी निकेतन, शिल्प कला केन्द्र, बाल एवं शिशु पालन गृहों, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, नृत्य, गायन, वादन, ड्रामा, एकांकी, नाटक आदि के शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलना और उसका संचालन करना।
- ल- समाज में राष्ट्रीयता, एकता, अखण्डता, धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म सम्भाव साम्प्रदायिक सदभाव एवं राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को जागृत करना।
- व- देश में बढ़ती हुई भिक्षावृत्ति को रोकना और देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवकों को रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर आकर्षित करना।
- श- इस संस्था का मुख्य उद्देश्य बौद्ध समुदाय के लोगों को भारतीय संविधान की धारा 30(1) के अन्तर्गत विशेष शैक्षिक तथा सामाजिक रूप से उन्नति करना है।

सत्य प्रतिनिधि

संस्था का अध्यक्ष
जनसेवा कल्याण समिति
ग्राम अन्दावॉ पोस्ट सरायइनायत
वि०ख० बहादुरपुर जिला इलाहाबाद

अध्यक्ष


अध्यक्ष

अध्यक्ष

प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम व पता जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
1.	द्वारिका प्रसाद सिंह	श्री नन्द लाल सिंह	कांदी सहसों इला.	अध्यक्ष
2.	जैनेन्द्र सिंह	श्री राम लखन सिंह	देवापुर कुम्हौना इला.	उपाध्यक्ष
3.	डा० सूबेदार सिंह	श्री तुलसी राम सिंह	अन्दावां सरायइनायत इला.	मंत्री/सचिव
4.	चन्द्रभान सिंह	श्री सृष्टि नारायण सिंह	अन्दावां सरायइनायत इला.	सदस्य
5.	राम सिंह	श्री केदार सिंह	अन्दावां सरायइनायत इला.	सदस्य
6.	राम मूरत सिंह	श्री राम किशोर सिंह	बदरुद्दीपुर हनुमानगंज इला.	सदस्य
7.	रवीन्द्र सिंह	डा० सूबेदार सिंह	2डी लिडिल रोड जार्ज टाउन इला.	सदस्य
8.	मान सिंह	श्री धर्म सिंह	गोतावां सरायइनायत इला.	सदस्य
9.	जितेन्द्र सिंह	डा० सूबेदार सिंह	2डी लिडिल रोड जार्ज टाउन इला.	सदस्य
10.	श्रीमती सुषमा सिंह	डा० सूबेदार सिंह	2डी लिडिल रोड जार्ज टाउन इला.	सदस्य
11.	श्रीमती सुनीला सिंह	मान सिंह	गोतावां सरायइनायत इला.	सदस्य

हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता उपरोक्त स्मृति पत्र के अनुसार संस्था को सोसायटी रजिस्ट्रेशन की धारा 21 सन 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं-

क्र.सं.	नाम	हस्ताक्षर
1.	द्वारिका प्रसाद सिंह	
2.	जैनेन्द्र सिंह	
3.	डा० सूबेदार सिंह	
4.	चन्द्रभान सिंह	च-प्रमान सिंह
5.	राम सिंह	राम सिंह
6.	राम मूरत सिंह	राम मूरत
7.	रवीन्द्र सिंह	रवीन्द्र
8.	मान सिंह	मान सिंह
9.	जितेन्द्र सिंह	जितेन्द्र
10.	श्रीमती सुषमा सिंह	सुषमा सिंह
11.	श्रीमती सुनीला सिंह	सुनीला सिंह



साधारण सभा के कर्तव्य

8-प्रबन्धकारिणी समिति

बैठकें

सूचना अवधि

रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि

9-प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य

10-प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य-

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

- साधारण सभा में संस्था की कोई भी अचल/चल सम्पत्ति निहित नहीं होगी। बिना साधारण सभा के पूर्व स्वीकृत के प्रबन्धकारिणी समिति कोई भी कार्य कर सकती।।
- संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा किया जायेगा। प्रबन्ध समिति के सात सदस्यों का चुनाव संस्था के आजीवन सदस्यों में से चार सदस्यों का चुनाव साधारण सदस्यों में से करेगे। कुल ग्यारह सदस्यों की यह संस्था होगी। चुनाव जहाँ तक सम्भव होगा गठन पूर्व समिति से होगा नहीं तो साधारण बहुमत द्वारा गोपनीय मतदान के आधार पर होगा। प्रबन्ध समिति के सदस्यों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव एवं 8 कार्यकारिणी सदस्य होंगे।
- प्रबन्धकारिणी समिति की प्रत्येक 6 माह में एक बैठक होगी। आवश्यकता पडने पर 24 घण्टे की सूचना पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।
- बैठक की सूचना सामान्य स्थिति में अण्डर पोस्टिंग सर्टिफिकेट द्वारा एक सप्ताह पूर्व आवश्यक होगी। अन्य माध्यम से सूचना दिया जायेगा।
- प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के स्थान मृत्यु, त्याग पत्र अथवा किसी कारण से निष्कासित होने पर साधारण सभा में से चुनाव कर पूर्ति करेगा।

1. संस्था का प्रबन्ध कार्य करना।
2. वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना अथवा लागू करना।
3. वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना।
4. संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का ब्योरा रखना।
5. उपसमितियों के उपनियमों को बनाना और उनके पदाधिकारियों को नियुक्त करना।
6. संस्था के विवादों को सुलझाना।
7. संस्था के विकास हेतु प्रसाय करना।
8. प्रबन्ध कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

1. सभी प्रकार की बैठकों के अध्यक्षता स्वीकार करना।
2. प्रस्ताव आदि रखने की अनुमति प्रदान करना।
3. समय-समय पर संस्था के कार्यों का निरीक्षण करना।
4. सामान्य मत होने पर अपने एक निर्णायक मत का प्रयोग करना।
5. बैठकों की तिथियों का अनुमोदन करना।
6. मंत्री/सचिव द्वारा अनुमोदित त्याग पत्रों को स्वीकार करना।
7. संस्था के विकास में अपना योगदान करना।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्योंको सम्पादित करना और सामान्य स्थिति में उसका सहयोग करना।



विक्रम

विश्व

विक्रम

पद्मान सिंह सुप्रकाश सिंह मान सिंह

25 नवम्बर 2013

मंत्री / सचिव

1. सभी प्रकार की बैठकों को संचालित करना।
 2. बैठकों की कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करना।
 3. वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर प्रबन्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
 4. वार्षिक बजट साधारण सभा द्वारा पारित करना।
 5. संस्था की ओर से सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
 6. संस्था के ओर से समस्त बिलों बाउचरो पर हस्ताक्षर करना।
 7. संस्था की ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन करना।
 8. संस्था के मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करना।
 9. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण, अनुदान, चन्द्रा, चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।
 10. प्रबन्ध समिति द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना।
 11. अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, पदोन्नति, वेतनवृद्धि, वेतन वितरण एवं पद पदच्युत करना।
 12. संस्था की सभी चल व अचल सम्पत्ति पर नियन्त्रण रखना। समस्त अभिलेखों को सुरक्षित रखना।
 13. संस्था के विकास हेतु सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना।
 14. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड खादी आयोग के नियमानुसार संस्था संचालन, प्रबन्ध व प्रसार करना।
- 11-संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन : संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन साधारण सभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से सोसायटी अधिनियम की धारा 12 एवं 4 के द्वारा की जायेगी।
- 12-संस्था का कोष : संस्था का कोष किसी राष्ट्रीकृत बैंक में या पोस्ट आफिस में रखा जायेगा, जिसका संचालन संस्था के मंत्री/सचिव के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।
- 13-संस्था के आय व्यय का लेखापरीक्षण : संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।
- संस्था द्वारा उसके विरुद्ध अदालती कर्यवाही के संचालन का उत्तरदात्वि : संस्था द्वारा या उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व मंत्री/सचिव या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति।
- 14-संस्था के अभिलेख : संस्था के अभिलेख सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, आदि एवं आवश्यक कागजात मंत्री/सचिव के पास सुरक्षित रहेगे।
- 15-संस्था के सामूहिक एवं व्यक्तिगत : संस्था द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी करने का

सत्य प्रतिक्रिया
 20/11/18

सुषमा सिंह


20/11/18
 मान सिंह


उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्ध समिति के प्रत्येक सदस्य पर सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से होगा। यह दायित्व सदस्यो पर तब तक बना रहेगा जब तक कि ऋण दाता के ऋण की पूर्ण अदायगी न हो जाय। चाहे भले ही वह संस्था की सदस्यता पृथक क्यो न हो गया। ऋण के विषय में जमानत हेतु संस्था की निजी सम्पत्ति का बन्धक होगा। यदि संस्था के पास निजी सम्पत्ति न हो तो संस्था का कोई सदस्य या पदाधिकारी अपनी अचल सम्पत्ति को बन्धक कर सकेगा। संस्था/समिति की भूमि बन्धक करने से पहले सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 5ए उ0प्र0 संशोधन के अनुसार जिला जज से अनुमति लेना अनिवार्य है।

16-संस्था के विघटन

साधारण सभा के सदस्यों के बहुमत से संस्था का विघटन किया जा सकता है और सम्पत्ति के निस्तारण संस्था के सभी दायित्वों के पूर्ण करने के पश्चात अवशेष धन का समान उद्देश्यों हेतु संस्था को हस्तान्तरित किया जा सकता है। जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि


 सुषमासिंह
 मान सिंह
 22-12-14


 22-12-14